Acm आमेर जु. जयपुर

फर्द अहकाम

गंगालाल बनाम ... राज

नाम न्यायालय

केस संख्या 58/19 S/91

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	20/6/25	पत्रावली प्रस्तुत। व. पै. उप.। वादी ने आपत्ति कुरैवात प्रा० प० पेश किया। पत्रावली वास्ते जवाब/बहस प्रा० प० हेतु दिनांक 26/6/25 को पेश हो। [illegible] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	26/6/25	पत्रावली प्रस्तुत। वादी अधि. अनुपस्थित। उक्त पत्र [illegible] पेशी पर [illegible] से बहस। पत्रावली दिनांक 27/6/25 को पेश हो। [illegible] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	27/6/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी को आपत्ति की प्रति [illegible] गई। पत्रावली वास्ते जवाब/बहस आपत्ति हेतु दिनांक 1/7/25 को पेश हो। [illegible] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	1/7/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व. पै. उप.। बहस आपत्ति सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 11/7/25 को पेश हो। [illegible] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	11/7/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व. पै. उप.। वादी की आपत्ति खारिज करते हुए [illegible] राजपुरा-डाबी जयपुर [illegible] के माध्यम से वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय [illegible] पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [illegible] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary.
Date: 2025.07.31 12:03:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अंजू वर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 58/2019 वाद प्रस्तुति दिनांक – 26.06.2019

भंवरलाल पुत्र श्री प्रताप जाति अहीर निवासी ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर जिला जयपुर।

.... वादी

बनाम

1. नानूराम पुत्र श्री प्रताप जाति यादव निवासी ग्राम खोरा बीसल तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. श्रीमती रूडी देवी पत्नी श्री नाथूराम जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम खोरा बीसल तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर जरिये मंत्री संतोष शर्मा पुत्र नारायणलाल जाति ब्राहम्ण निवासी खातियों का मौहल्ला, ग्राम नांगल जैसा बोहरा, तहसील व जिला जयपुर जयपुर।

.........प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

दिनांक 11.07.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि वाके राजस्व ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 415 रकबा 2.49 हैक्टेयर, खसरा नंबर 416 रकबा 0.53 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.0200 हैक्टेयर स्थित है। जिस पर वादी अपने–अपने 1/8 हिस्से व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर बहैसियत मालिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी उपरोक्त उनवानी भूगि का 1/8 हिस्से का मालिक है। और अपने हिस्स पर मनबट के आधार पर काश्त करता चला आ रहा है तथा उक्त आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण के नाम शामलाती रूपसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। दिनांक 21––5–19 को प्रतिवादीगण अपने साथ 3–4 लोगो के साथ आये और वादी की आराजीयात पर जबरन कब्जा व निर्माण कार्य करने लगे वादी के द्वारा प्रतिवादीगण को तकासमा करने के लिये कहा तो उन्होने इन्कार कर दिया कि हम तकासमा नहीं करवायेंगे जिस कारण दिनांक 21–5–19 को वाद कारण उत्पन्न हुआ जो लगातार बना हुआ है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आज तक उपरोक्त आराजीयात का विधियुक्त विभाजन नहीं हुआ है तथा वादी बाई मीट एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तकासमा कराना चाहती है। अतः वाद वादी प्रस्तुत कर सविनय निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी फरमायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:23 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद तामील नोटिस अनुपस्थित रहने पर दिनांक 15.04.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादी का वाद वाई मीटस एंड वाउंडस के आधार पर प्राथमिक डिकी किया गया तदनुसार तहसीलदार आमेर जयपुर को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वाके राजस्व ग्राम खोरावीसल, तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 415 रकबा 2.49 हैक्टेयर, खसरा नंबर 416 रकबा 0.53 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.0200 हैक्टेयर भूमि का वाई मीट्स एंड वाउंड्स के आधार पर तकासमा कर जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतू आदेशित किया गया।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2025 /1765 दिनांक 16.05.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता को कुर्रेजात पर बहस व आपत्ति हेतु अवसर दिया गया।

वादी ने आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया तथा आपत्ति प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वादी ने जाहिर किया की तहसीलदार ने कुर्रेजात रिपोर्ट मु स्पष्ट अंकन नहीं किया गया कि किस को कोन सा रंग वाला भाग मिलेगा तथा कुर्रेजात रिपोर्ट में मौके पर चालू रास्ते का ना तो अंकन किया और नाही सभी पक्षकारों को आने–जाने हेतू रास्ता छोड़ा गया है। प्रतिवादी अधिवक्ता ने इसका खण्डन करते हुये जाहिर किया की तहसीलदार ने कुर्रजात नक्शे में खसरों का अंकन किया है तथा उन खसरो को उभयपक्ष के मध्य बंटवारा किया गया है इसलिए स्वतः ही जाहिर होता है कि किस को कौनसा रंग मिलेगा। तथा सभी पक्षकारों को रास्ते की व्यवस्था की गई है।

प्रस्तुत आपत्ति एवं कुर्रेजात का अवलोकन किया गया कुर्रेजात रिपोर्ट में उभयपक्ष को रास्ते की समुचित व्यवस्था की गई है तथा खसरो का अंकन नक्शे में किया गया है कौन सा खसरा किस प्रतिवादी अथवा वादी के रहेगा। वादी द्वारा उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट के संबंध में कोई न्याय संगत ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया कि पक्षकारान को उसके हिस्से से अधिक भूमि दिया जाना प्रस्तावित किया हो अथवा रास्ते की समुचित व्यवस्था नही हों। वादी द्वारा प्रस्तुत आपत्तिया विधि सम्मत नहीं है, ऐसी सुरत में आपत्तिया पोषणीय नहीं है। अतः तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

1. रूडी देवी पत्नी नाथूराम हि. संपूर्ण जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार (श्री गणपति गृह निर्माण समिति लि. जयपुर जरिये मंत्री संतोष शर्मा पुत्र नारायण लाल) के हिस्से

खसरा नंबर 416 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नंबर 415/1 रकबा 1.2802 हैक्टेयर, खसरा नंबर 415/2 रकबा 0.2181 हैक्टेयर, खसरा नंबर 415/3 रकबा 0.1545 हैक्टेयर, खसरा नंबर 415/4 रकबा 0.0822 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.265 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

2. नानूराम पुत्र प्रताप हि. संपूर्ण जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नबर 415/5 रकबा 0.3578 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. भंवरलाल पुत्र प्रताप हि. संपूर्ण जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 415/6 रकबा 0.3578 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
4. नानूराम पुत्र प्रताप हि. 1/2, भंवरलाल पुत्र प्रताप हि. 1/2 जाति समस्त अहीर (यादव) सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 415/7 रकबा 0.0394 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर
सत्यमेव जयते
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 58/2019
बउनवानी – भंवरलाल बनाम नानूराम वगै0
निर्णय दिनांक :–11.07.2025

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अंजु वर्मा
आर.ए.एस

नियमित वाद संख्या – 58/2019 वाद प्रस्तुति दिनांक – 26.06.2019

भंवरलाल पुत्र श्री प्रताप जाति अहीर निवासी ग्राम खोरावीसल, तहसील आमेर जिला जयपुर।
.... वादी

बनाम

1. नानूराम पुत्र श्री प्रताप जाति यादव निवासी ग्राम खोरा बीसल तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. श्रीमती रूडी देवी पत्नी श्री नाथूराम जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम खोरा बीसल तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर जरिये मंत्री संतोष शर्मा पुत्र नारायणलाल जाति ब्राहम्ण निवासी खातियों का मौहल्ला, ग्राम नांगल जैसा बोहरा, तहसील व जिला जयपुर जयपुर।

........प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955</u>

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता हैः–

1. रूडी देवी पत्नी नाथूराम हि. संपूर्ण जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार (श्री गणपति गृह निर्माण समिति लि. जयपुर जरिये मंत्री संतोष शर्मा पुत्र नारायण लाल) के हिस्से खसरा नंबर 416 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नंबर 415/1 रकबा 1.2802 हैक्टेयर, खसरा नंबर 415/2 रकबा 0.2181 हैक्टेयर, खसरा नंबर 415/3 रकबा 0.1545 हैक्टेयर, खसरा नंबर 415/4 रकबा 0.0822 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.265 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. नानूराम पुत्र प्रताप हि. संपूर्ण जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नबर 415/5 रकबा 0.3578 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. भंवरलाल पुत्र प्रताप हि. संपूर्ण जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 415/6 रकबा 0.3578 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
4. नानूराम पुत्र प्रताप हि. 1/2, भंवरलाल पुत्र प्रताप हि. 1/2 जाति समस्त अहीर (यादव) सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 415/7 रकबा 0.0394 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अंग माना जावेगा। पक्षकारान मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 11.07.2025 को जारी किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:23 IST
Reason: SelfAttested

दस्तखत–
ओहदा–

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर म0 जयपुर

प्रकरण संख्या – 58 / 2019
बउनवानी – भंवरलाल बनाम नानूराम वगै0
निर्णय दिनांक :–11.07.2025

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:23 IST
Reason: SelfAttested

...पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (...मण्डल) नियम–1955 के नियम–18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार ...ये:–

	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा (हैक्टे.)	किस्म	लगान
	खड़ी देवी पत्नि नाथूराम हि० सम्पूर्ण जाति बागड़ा ब्राह्मण सा० देह खातेदार (श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति लि० जयपुर जरिये मंत्री संतोष शर्मा पुत्र नारायण लाल	416	0.52	गा.3	
		415/1	1.2802	गा.3	
		415/2	0.2181	गा.3	
		415/3	0.1545	गा.3	
		415/4	0.0822	गा.3	
	कुल किता	05	2.265	गा.3	
2	नाथूराम पुत्र प्रताप हि० सम्पूर्ण जाति अहीर (यादव) सा० देह खातेदार	415/5	0.3578	गा.3	
	कुल किता	01	0.3578	गा.3	
3	भंवरलाल पुत्र प्रताप हि० सम्पूर्ण जाति अहीर यादव सा० देह खातेदार	415/6	0.3578	गा.3	
	कुल किता	01	0.3578	गा.3	
4.	नाथूराम पुत्र प्रताप हि० 1/2, भंवरलाल पुत्र प्रताप हि० 1/2 जाति समान अहीर(यादव) सा० देह खातेदार	415/7	0.0394	गा.3	
	कुल किता	01	0.0394	गा.3	
	कुल किता 1+2+3+4	08	3.02		

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:23 IST
Reason: SelfAttested

भंवरलाल सन्तोष शर्मा

...पर अन्य मौतविरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़ कर सुनाये गये और निम्नप्रकार हस्ताक्षर
...वाये गये:–

सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी / प्रतिवादी
	भंवरलाल पुत्र प्रताप अहिर (यादव)				भंवरलाल
	नानूराम पुत्र प्रताप अहिर (यादव)				
	छोटी देवी पत्नी नाथूराम जाति बागडा ब्राह्मण				

इस प्रकार आज दिनांक 20/05/25 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई हैं:–

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	तहसीलदार
पटवारी	भू.अ.नि.	नायब तहसीलदार	तहसीलदार तह. [illegible] जिला, जयपुर
पटवार मण्डल	वृत		

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:23 IST
Reason: SelfAttested

संलग्न प्रस्तावित नक्शा कुर्रेजात व जमाबन्दी:–

ग्राम - खोराबीसल
जिला - जयपुर
तह० - रामपुरा डाबड़ी
पैमाना 1:4000

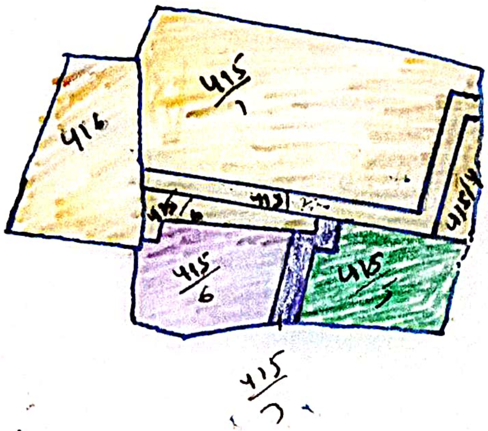

△ रूडी देवी पत्नि नाथूराम जाति नागडा ब्राह्मण - [signature]

△ भंवर लाल पुत्र प्रताप अहिर (यादव) भंवरलाल

△ नाथूराम पुत्र प्रताप अहिर (यादव) [signature]

[signature] NTDR

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:23 IST
Reason: SelfAttested

[signature]

[signature]

तहसीलदार
तह. रामपुरा डाबड़ी जिला, जयपुर